फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री भाना **विपक्षी : श्री गणेश**

किस्म मुकदमा – 88 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 204/21**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 13.08.2022

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प में पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। वादी व प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 3 जा.दी. आपसी राजीनामा का पेश कर आपसी राजीनामें के आधार पर वाद को डिक्री किया जाने का निवेदन किया। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त रूप से दर्ज हैं। मूल पुरूष हरजी के 5 पुत्र धन्ना, अमरा, हीरा, टीला एवं भीमा हुए। भीमा लाऔलाद फौत हो चुका हैं। धन्ना के कोई औलाद नहीं होने से अमरा के पुत्र भाना को धन्ना ने सामाजिक रितिरिवाज से गोद लिया, जिसकी लिखापढी समाज एवं पंचो के समक्ष चोपनियें में की गई, तभी से धन्ना के हिस्से की भूमि पर धन्ना एवं उसके बाद भाना का ही निरन्तर कब्जा चला आ रहा हैं। धन्ना की मृत्यु के बाद उक्त भूमि धन्ना की पत्नी गंगा बेवा धन्ना के नाम दर्ज हुई। गंगा बेवा धन्ना की मृत्यु के बाद उक्त भूमि गोद पुत्र भाना के नाम दर्ज नहीं होकर धन्ना के चारों भाईयों के वारिसों के नाम दर्ज हो गई जबकि मौके पर धन्ना के हिस्से की भूमि पर धन्ना के बाद वादी भाना का ही कब्जा होना बताया हैं। गोद पुत्र की हैसियत से भाना उक्त भूमि को पुनः अपने नाम दर्ज कराने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 1 से 12 की ओर से अधिवक्ता द्वारा स्वीकारात्मक जवाब एवं आपसी राजीनामा पेश कर धन्ना के नाम की भूमि भाना के नाम दर्ज किये जाने पर सहमति व्यक्त की। वादी द्वारा वाद के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र श्री भाना, श्री मांगीलाल, श्री दुदा, श्री लोगर, श्री नाथु, श्री कालुसिंह, श्री गणेश, श्री गमेरसिंह, श्री भंवरलाल, श्री किशनसिंह के शपथ पत्र पेश किये। सभी शपथ कर्ताओं ने भाना को धन्ना का गोदीना पुत्र मानकर धन्ना के हिस्से की भूमि पर भाना का ही कब्जा बताया हैं। वादी द्वारा दस्तावेज के रूप में जमाबन्दी नकल, नामान्तरकरण की नकल, गोदनामा चोपनिया लिखापढी की फोटो प्रति, पेशंनर आवेदन रसीद, आधार कार्ड, विद्युत बिल की प्रति, राशन कार्ड की प्रति, मतदाता पहचान पत्र की प्रति पेश किये जिसमें सभी दस्तावेजों में भाना के पिता के रूप में धन्ना का नाम अंकित हैं। गोदनामें की लिखापढी से भी धन्ना द्वारा अपने भाई अमरा के पुत्र भाना को गोद लेने के कथन की पुष्टि होती हैं। प्रतिवादीगण द्वारा भी भाना को धन्ना का गोदीना पुत्र स्वीकार किया हैं। अतः ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि धन्ना द्वारा वादी भाना को सामाजिक रितिरिवाज से गोद लिया हैं। वादी गोदपुत्र की हैसियत से धन्ना की सेवा चाकरी करता आया है एवं धन्ना के हिस्से की भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा हैं, जिसकी पुष्टि शपथकर्ताओं द्वारा अपने शपथ पत्र में की हैं। अतः वादी धन्ना का गोद पुत्र होने से धन्ना के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी हैं। प्रतिवादीगणों द्वारा भी स्वीकारात्मक जवाब एवं आपसी राजीनामा पेश कर वाद को स्वीकार किया जाने पर अपनी सहमति व्यक्त की हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

:: आदेश ::

परिणामस्वरूप वाद वादी आपसी राजीनामा अनुसार स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा पालवासखुर्द पटवार हल्का वीरधोलिया की आराजी नम्बर 10, 100 से 109, 11, 110, 111, 12 से 20, 3 से 6, 63 से 68, 685/59, 69, 7, 70 से 72, 74 से 79, 8, 80 से 89, 9, 90 से 99 किता 67 रकबा 5.9894 हेक्टेयर भूमि में तत्कालीन खातेदार धन्ना के गोदपुत्र की हैसियत से वादी भाना को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.08.18 16:28:41 IST
Reason: SelfAttested

(कपिल कुमार कोठारी)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री कपिल कुमार कोठारी, R.A.S.

मुकदमा नम्बर : 204/21 (वाद) GCMS No. : 2021/488

उनवान

1. श्री भाना गोदीपुत्र धन्ना भील निवासी पालवासखुर्द तह. मावली।

.....वादी

बनाम

1. श्री गणेश पिता टीला भील निवासी पालवास खुर्द तह. मावली।
2. श्री तुलछा पिता टीला भील निवासी पालवास खुर्द तह. मावली।
3. श्री देवा पिता टीला भील निवासी पालवास खुर्द तह. मावली।
4. श्री दुदा पिता अमरा भील निवासी पालवास खुर्द तह. मावली।
5. श्री नाथु पिता अमरा भील निवासी पालवास खुर्द तह. मावली।
6. श्री नाना पिता अमरा भील निवासी पालवास खुर्द तह. मावली।
7. श्री भगा पिता अमरा भील निवासी पालवास खुर्द तह. मावली।
8. श्रीमती प्यारीबाई पत्नी उंकार भील निवासी पालवासखुर्द तह. मावली।
9. श्री प्रभु पिता उंकार भील निवासी पालवास खुर्द तह. मावली।
10. श्री मोहन पिता उंकार भील निवासी पालवास खुर्द तह. मावली।
11. श्री वालु पिता उंकार भील निवासी पालवास खुर्द तह. मावली।
12. श्री सोहन पिता टीला भील निवासी पालवास खुर्द तह. मावली **मृतक के बजाय** :–

12/1 श्री मांगीलाल पिता सोहन भील निवासी पालवास खुर्द तह. मावली।

13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
14. पटवारी, पटवार हल्का वीरधोलिया तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु कपिल कुमार कोठारी, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राज.का. अधिनियम का आपसी राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा पालवासखुर्द पटवार हल्का वीरधोलिया की आराजी नम्बर 10, 100 से 109, 11, 110, 111, 12 से 20, 3 से 6, 63 से 68, 685/59, 69, 7, 70 से 72, 74 से 79, 8, 80 से 89, 9, 90 से 99 किता 67 रकबा 5.9894 हेक्टेयर भूमि में तत्कालीन खातेदार धन्ना के गोदपुत्र की हैसियत से वादी भाना को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 13.08.2022 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.08.18 16:28:41 IST
Reason: SelfAttested

(कपिल कुमार कोठारी)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली